# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :— 10/2017

उनवान प्रकरण

पप्पू पुत्र प्रभु जाति कुशवाह निवासी ग्राम दुर्गापुरा उप तहसील मंनिया तहसील व जिला धौलपुर
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर जिला धौलपुर
.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 28.11.2016
नायव तहसीलदार मंनिया उनवानी सरकार बनाम पप्पू
मुकद्वमा नम्बर 46/2016 धारा 91 एल0आर0एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :— श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 21.02.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि पटवारी हल्का टांडा की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को खसरा नम्बर 189 रकवा 19 विस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता स्थित ग्राम दुर्गपुरा तहसील धौलपुर में से 02 विस्वा भूमि पर दासाबन्दी कर मिटटी डालकर सम्बत 2073 में अतिक्रमण किया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने एंव 15 दिवस का सिविल कारावास तथा लगान का 50 गुना 20/—रू0 शास्ति आरोपित करते हुये आदेश पारित किया है, उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि गैर मुमकिन रास्ता भूमि की परिभाषा में नहीं आता है, ग्राम पंचायत के अधीन होता है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में दिनांक अंकित नहीं है न पृष्ठ पर नक्शा बनाया गया है कि अपीलान्ट द्वारा किस भूमि पर कहॉ पर अतिक्रमण किया है न अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण में दासा व मिटटी की माप तौल बतायी है। रिपोर्ट पटवारी हल्का महत्वहीन है अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण सुनने का

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत नहीं हुई है, तामील की दिनांक, समय, पहचानकर्ता गवाहों के नाम व पता अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का विधिवत अवसर नहीं दिया है, समस्त कार्यवाही एक ही दिन में की गयी है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया है एंव पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में वेदखली आदेश की प्रति एवं दैनिक डायरी की प्रति प्रस्तुत नहीं की है और न पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य है जिससे यह साबित होता हो कि पूर्व में बेदखल किया जा चुका है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है और न वर्तमान में कोई अतिक्रमण है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अपीलान्ट को सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 19.4.2017 को पुलिस थाना मंनिया द्वारा गिरफतार करने पर हुआ उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 21.4.2017 को उप तहसील मंनिया में जमानत पर छोडा गया उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु विधानसभा चुनाव धौलपुर में होने के कारण राजस्व कर्मचारियों की ड्यूटी होने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिली दिनांक 18.4.2017 को नकल प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुयी। अतः जानकारी से अन्दर म्याद अपील पेश है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.11.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नोटिस धारा 91 की तामील विधि सम्मत नही है, तामील की दिनांक, समय, पहचानकर्ताओं के नाम व पता अंकित नहीं है, तामील कुलिन्दा का शथप पत्र नहीं है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। रास्ता भूमि की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार नायव तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया है प्रथम पेशी पर ही पटवारी हल्का का बयान लिया गया पूर्व में पश्चातवर्ती अतिक्रमण का न तो कोई आदेश पेश किया गया और न ही कोई धटना रिकोर्ड पर है एंव उसी दिन बिना कोई सुनबाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त पर भी खरा नहीं उतरता है। सिविल कारावास पारित करने से पूर्व राजस्व अधिकारियों द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व पश्चातवर्ती अतिक्रमी के लिए बेदखल का आदेश पत्रावली पर होना आवश्यक है बिना बेदखली के आदेश के पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दण्डित किया जाना विधि संगत नहीं है। अवैध आदेश की चुनौती के लिए कोई सीमा का बंधन नहीं होता है। अपीलान्ट के द्वारा अतिक्रमण को हटा लिया गया है, फोटो मौके का पेश किया है शपथपत्र अपीलान्ट के द्वारा नायव तहसीलदार मंनिया के यहॉ पेश कर दिया है। अतः सजा के बिन्दु पर नरम रूख

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अपना कर माफ किया जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट गरीव किसान व मजदूर व्यक्ति है। सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी यह मत कई वार व्यक्त किया है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी 2005 पेज 701, आर आर डी 1996 पेज 481, आर आर डी 1996 पेज 585, आर बी जे 1996 पेज 360, आर बी जे 1996 पेज 410, आर आर डी 1992 पेज 239 एवं आर आर डी 1996 पेज 585 के न्यायिक नजीरें पेश कर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्ट धर्मवीर पर स्वंय विधिवत हुई है। अतिक्रमी वावजूद तामील सूचना के उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा विवादित राजकीय भूमि पर सम्बत 2073 में दासाबन्दी कर मिटटी डालकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने सम्बत 2072 में भी दासाबन्दी कर मिटटी डालकर अतिक्रमण किया था तथा उसे बेदखल किया गया था। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत नहीं हुई। गैर मुमकिन रास्ता भूमि की परिभाषा में नहीं आता है और अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जो नोटिस जारी किया गया है उस पर अपीलान्ट पप्पू पर स्वंय तामील हुई है। नोटिस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है जो तामील कुनिन्दा द्वारा अपने हस्ताक्षर कर वाद तामील पेश किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन सत्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत नहीं हुई। इससे यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट को इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी रही है। अपीलान्ट के द्वारा अतिक्रमण के विरूद्व न तो कोई जबाव पेश किया और न ही अतिक्रमण से इन्कार किया है। अपीलान्ट का यह कथन मान भी लिया जावे कि उसके द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं किया है, तो उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित दिनांक को अपना जबाव व पक्ष प्रस्तुत करना चाहिऐ था लेकिन उसके द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है और पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं हो। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन सत्य नहीं है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट ने विवादित राजकीय आराजी खसरा नम्बर 189 रकवा 19 विस्वा स्थित ग्राम दुर्गपुरा तहसील धौलपुर में से 02 विस्वा भूमि पर दासाबन्दी कर मिटटी डालकर सम्बत 2073 में कब्जा किया है उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। अपीलान्ट ने रास्ते की भूमि पर कब्जा किया हुआ है जिस पर धारा 91 के प्रावधान लागू होते है। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

इस प्रकार की भूमि आर0टी0एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित है। इस प्रकार की भूमियों का नियमन/आवंटन नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं बयान तथा अन्य दस्तावेजों से स्पष्ट प्रमाणित है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी सम्बत 2072 में उक्त विवादित रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे मौके से बेदखल किया गया था। पुनः अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अपीलान्ट बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया उसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि आक्षेपित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.11.2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ नायब तहसीलदार मंनिया को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( हरफूल सिंह यादव )
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)